न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेशकुमार आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2019/00066

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

परवीन बानो पत्नी सोकतअली कोहरी, सोकत अली पुत्र मोजदीन कोहरी जाति मुसलमान निवासी 6 केजेडी खाजूवाला

..........प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णयः– दिनांक :– 04.04.25

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण परवीन बानो पत्नी सोकतअली कोहरी, सोकतअली पुत्र मोजदीन कोहरी जाति मुसलमान निवासी 6 केजेडी तहः खाजूवाला का जमाबन्दी अनुसार रिकॉर्डेड खातेदार टिनेट है जिसका खाता राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी अनुसार चक 6 केजेडी ए व बी के मु0नं0 81/29, 81/30 के किला नं0 13 ता 17, 23 ता 25 की 07.14 बीघा व 3 ता 8, की 06.00 बीघा कुल 13.14 बीघा कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रतिवादीगण वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये एवं बिना संपरिवर्तन कराये गैर कानूनी ढ़ंग से ईंट भट्टा कर औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कर रहा है। प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि से अकृषि कार्य किया जा रहा है एवं भूमि पर काश्त या उचित प्रबन्ध नहीं कर पाने के कारण भूमि का स्वरूप इसप्रकार कर दिया है कि उक्त भूमि कृषि प्रयोजन के लिये अनुपयुक्त हो चुकी है जो विधि विरूद्ध है इसलिए खातेदार के खातेदारी अधिकार निरस्त किये जाकर उक्त आरजी अराजीराज दर्ज करने व कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जावें और प्रतिवादी को वादगत भूमि से बेदखल किया जावे साथ ही भारी शास्ति से दंडित किया जाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को नोटिस जारी होने पर प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री रफीकशाह, श्री इमीचंद गोदारा ने उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत किया। प्रकरण राजहित से जुड़ा होने के कारण मैरिट पर सुना जाना न्यायोचित लगने के कारण प्रतिवादी का उक्त प्रार्थनापत्र खारिज किया गया। तत्पश्चात प्रतिवादी अधिवक्ता ने जवाबदावा प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रतिवादी सोकतअली ने चक 6 केजेडी बी मु0नं0 81/30 के किला नं0 3 ता 5 की अपनी खातेदारी भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ (ईंट भट्टा) संपरिवर्तन हेतु वादी स्टेट ने अपने पत्रांक 1629 दिनांक 04.12.2006 से रिपोर्ट कर संपरिवर्तन पेश की। जिसपर श्रीमानजी द्वारा अपने आदेश क्र0 एसडीओ/खाजू0/भू0अ0/06/सम/1158–61 दिनांक 07.12.2006 को भूमि का संपरिवर्तन औद्योगिक (ईंट भट्टा) में करवा रखा है। तो ऐसी स्थिति में स्टेट ने रिकॉर्ड में अंकन नहीं कर अपने कर्तव्य को छुपाने के लिए दावा पेश किया है। जबकि स्टेट को सन् 2006 के संपरिवर्तन आदेश का रिकॉर्ड में अंकन करना चाहिए था। अपने दायित्वों का सही ढ़ंग से निर्वाह नहीं कर पाने पर गलत मनगढ़त तथ्यों पर अप्रार्थीगण पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अपने दायित्वों के बचाव में पेशकर कानूनी गलती की है। अप्रार्थीगण अपनी संपरिवर्तन भूमि पर ईंट भट्टा बना रखा है तथा शेष भूमि पर खेती की जा रही है। जबकि स्टेट को अपने पास गये संपरिवर्तन आदेश की पालना कर रिकॉर्ड में अंकन करना चाहिए जो नहीं कर केवल मात्र न्यायालय का समय जाया किया है। इसलिए दावा खारिज योग्य है तथा आदेश किया जावे कि संपरिवर्तन आदेश का रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। प्रतिवादी ने अपने जवाबदावा को साबित करने के पक्ष में फॉर्म सं0 3 तीन के साथ दस्तावेजात पत्रावली पर प्रस्तुत किये है जो कि प्रदूषण विभाग, खनिज विभाग, उधोग विभाग के आदेश/प्रमिट व संपरिवर्तन पत्रावली की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

राज0 पैरोकार/वादी ने जवाब आने के पश्चात बहस हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी अधिवक्ता ने दिनांक 31.05.24 को निवेदन किया कि श्रीमानजी प्रतिवादी परवीन बानो की वादगत भूमि पर ईंट भट्टा नहीं है एवं प्रतिवादी सोकतअली की वादगत भूमि पर ईंट भट्टा है जो संपरिवर्तनशुदा है। अतः पुनः तहसीलदार खाजूवाला की स्पष्ट रिपोर्ट ली जावे। तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट पत्रांक/तखा/राजस्व/25/184 दिनांक 19.02.25 ली गई। उक्त रिपोर्ट अनुसार चक 6 केजेडी ए मु0नं0 81/29 के किला नं0 4 ता 7 कुल 0.8852 हैक्टर कमाण्ड भूमि परवीन बानो पत्नी शौकतअली कोहरी जाति मुसलमान सा0 रिडमलसर सिपाहीयान तह व जिला बीकानेर के नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि पर वर्तमान में कोई ईंट भट्टा बना हुआ नहीं है। तथा चक 6 केजेडी ए मु0नं0 81/30 के किला नं0 3 ता 8 कुल 1.5174 हैक्टर कमाण्ड भूमि पर ईंट भट्टा बना हुआ है। जो कि शौकतअली पुत्र मोजदीन जाति मुसलमान निवासी 6 केजेडी तहः खाजूवाला खातेदार रहन भूमि विकास बैंक लि0 बीकानेर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि के किला नं0 3 ता 5 में ईंट भट्टा बना हुआ है। जिसका संपरिवर्तन आदेश श्रीमानजी के कार्यालय द्वारा जारी किया हुआ है।

पत्रावली पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी/राज पैरोकार ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र स्वीकार करने का निवेदन किया जबकि प्रतिवादी अधिवक्ता ने जवाबदावा के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि परवीन बानो के नाम खातेदारी भूमि चक 6 केजेडी ए मु0नं0 81/29 के किला नं0 4 ता 7 कुल 0.8852 हैक्टर कमाण्ड में कोई ईंट भट्टा नहीं बना हुआ है ना ही कोई अकृषि किया जा रहा है जो कि तहसीलदार रिपोर्ट से भी साबित हो रहा है एवं प्रतिवादी शौकतअली की खातेदारी भूमि चक 6 केजेडी ए मु0नं0 81/30 के किला नं0 3 ता 8 कुल 1.5174 हैक्टर में से किला नं0 3 ता 5 में संपरिवर्तनशुदा ईंट भट्टा व शेष भूमि में काश्त की जाती है एवं अकृषि प्रयोग नहीं किया जाता है। वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ईंट भट्टा संचालित नहीं है। वादगत भूमि संपरिवर्तन करवाकर ईंट भट्टा संचालित कर रहे है। शेष भूमि कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग हो रहा है एवं वादी द्वारा कथन किया गया है कि नामान्तरण दर्ज नहीं करवाया तो इसमें प्रतिवादी की कोई गलती नहीं है क्योंकि उपखण्ड अधिकारी के आदेश की पालना में नामान्तरण संपरिवर्तन आदेश की प्रति के आदेश तहसीलदार/वादी का भी दायित्व बनता था और उक्त संपरिवर्तन आदेश का सिर्फ नामान्तरण न होने की सजा प्रतिवादी को खातेदारी निरस्त करना या बेदखल करना प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होगा और प्रतिवादी के हितो पर कुठराघात होगा जिससे प्रतिवादी को अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रतिवादी आज भी नियमानुसार वैधानिक प्रक्रिया अपनाकर नामान्तरण करवाने के लिए तैयार है किन्तु तहसीलदार/वादी द्वारा नामान्तरण दर्ज नहीं किया जा रहा है। उपखण्ड अधिकारी के संपरिवर्तन आदेश का नामान्तरण दर्ज न होने की सजा सिर्फ प्रतिवादी को दी जानी न्यायसंगत नहीं है। अधिकार सृजित संपरिवर्तन आदेश से होते है नामान्तरण तो केवल मात्र फिसीकल प्रोसिंडिग है इसलिए केवल मात्र नामान्तरण न होने की वजह से संपरिवर्तन आदेश को गलत नहीं माना जा सकता है एवं प्रतिवादी समस्त संपरिवर्तन नियमों का पालन कर रहा है एवं संपरिवर्तन करवाने के समय से वादगत भूमि का उपयोग संपरिवर्तन के वक्त बताए गये उदेश्य के अनुरूप कर रहा है। वादी को उक्त संपरिवर्तन आदेश की पालना में नामान्तरण दर्ज करना चाहिए था लेकिन नामान्तरण दर्ज करने की बजाय वादी ने उक्त दावा पेशकर अपने दायित्वों को छुपाया है एवं वादी को वाद हेतुक ही प्राप्त नहीं था इसलिए दावा खारिज योग्य है। सिर्फ पटवारी रिपोर्ट के आधार पर बिना कोई जांच के बिना वाद हेतुक के वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। वादी का वाद खारिज फरमाया जाकर वादी को निर्देश दिया जावे कि वादी संपरिवर्तन आदेश का नामान्तरण प्रतिवादी शौकतअली कोहरी के औद्योगिक संपरिवर्तन का दर्ज करें। वादी का वादपत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

उपरोक्त विवेचन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि चूंकि वादपत्र प्रस्तुत के समय की व बाद की तहसीलदार रिपोर्ट ही आपस में विरोधाभाषी है एवं वाद हैतुक में भी संशय प्रतीत होता है। प्रतिवादी कुछ हद तक अपना पक्ष सही साबित करने में सफल रहा है, संपरिवर्तन से संबंधित दस्तावेज भी प्रतिवादी ने प्रस्तुत किये है किन्तु संपरिवर्तन आदेश का नामान्तरण दर्ज नहीं होने में एक पक्षकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है इसमें दोनों पक्षों की तकनीकी चूक रही है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर राज0 पैरोकार/वादी वादपत्र साबित करने में असफल रहा है किन्तु संपरिवर्तन का नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ है इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। अतः वादी का वाद धारा 177 आरटीएक्ट व धारा 151 सीपीसी में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे आंशिक स्वीकार किया जाता है और प्रतिवादी शौकत अली पर दो हजार रुपये की शास्ति कायम की जाती है साथ ही प्रतिवादी शौकतअली को हिदायत दी जाती है कि वह सक्षम स्तर पर पर उपस्थित होकर संपरिवर्तन नियमों के तहत नियमानुसार कार्यवाही निष्पादन करवावें। तहसीलदार खाजूवाला को निर्देश दिया जाता है कि प्रकरण में संपरिवर्तन नियमों के तहत आगामी आवश्यक कार्यवाही करें। उभयपक्षकारान अपना–अपना वाद खर्च वहन करें। पर्चा डिक्री कायम हो। पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल–दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 04.04.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेशकुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)